

जिला कमिश्नर
भीलसाड़ा

17.08.2021 यत्नावली पेश हुई। (पार्सी अधिवक्ता उमास्वैत) कार्यालय उमखण्ड
अधिकारी, शाहपुरा से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई।
यत्नावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया।
न्यायालय उमखण्ड अधिकारी, शाहपुरा में जैरकार प्रकरण
संख्या 94/2019 अंतर्गत धारा 251 A (RTA) को पार्शिया
द्वारा अन्य न्यायालय में सुनवाई हेतु निवेदन किया है।
अधीनस्थ न्यायालय की रिपोर्ट अनुसार रास्ते के संबंध में
तहसीलदार शाहपुरा की मौका रिपोर्ट अनुसार ही प्रकरण में
न्यायोचित निर्णय किया जा सकेगा। इसमें अधिनस्थ न्यायालय
SDO शाहपुरा का प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार की दूषित
मंशा जाहिर नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन अनुसार पार्शिया
का पार्शिया यत्नावली अधिनस्थ न्यायालय की यत्नावली
अन्य न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने का
औचित्यहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार किया
जाता है। प्र.सं. 94/19 में उभयपक्ष सुनवाई हेतु अधिनस्थ
न्यायालय उमखण्ड अधिकारी, शाहपुरा में नियत आगामी
पेशी पर उमास्वैत वकील निर्णय की उति उमखण्ड अधिकारी
शाहपुरा को प्रेषित की जावे।

जिला कमिश्नर
भीलसाड़ा